राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– निपेवि/CPDMC/2024–25 / 2289–90 दिनांक:– 07/11/24

समस्त कोषाधिकारी
राजस्थान।

विषयः– पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र संबंधी कार्यवाही के बावत।

महोदय,

राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अनुसार प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में पेंशनर द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 134 के अन्तर्गत जीवन प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी' का उल्लेख है। उपयुक्त नियमों के परिपेक्ष्य में पेंशनर द्वारा निम्न माध्यमों के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है–

1. राजस्थान राज्य कर्मचारियों के द्वारा SSO ID के माध्यम से।
2. जीवन प्रमाण के माध्यम से बायोमैट्रिक द्वारा।
3. फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र।
4. पेंशन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करना।
5. विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र कोष/पेंशन कार्यालय में जमा करना।

अतः पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में आपके स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है:–

1. Online Portal (www.pension.rajasthan.gov.in) के माध्यम से पेंशनर द्वारा Upload किए गये जीवन प्रमाण पत्र का System में Updation दैनिक आधार पर करवाया जाना सुनिश्चित करें जिससे पेंशनर को शीघ्र उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए जीवन प्रमाण पत्र का नवीनतम Status प्रदर्शित हो सके।
2. कोष कार्यालयों एवं उपकोष कार्यालयों में पेंशनर द्वारा निर्धारित परिपत्र में नियम 134 में निर्दिष्ट प्राधिकारी से प्रमाणित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्रति रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जाये तथा सिस्टम पर भी अविलम्ब Updation किया जाये।
3. बायोमेट्रिक प्रकिया द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा सभी ई–मित्र सेवा केन्द्रों, डाकघरों, पेंशन विभाग के सभी कार्यालयों में उपलब्ध है। उक्त बायोमेट्रिक प्रकिया द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा कोषालय/उपकोषालय स्तर पर भी उपलब्ध कराने के प्रयास करें जिससे पेंशनर्स सुविधाजनक तरीके से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सके।
4. आपके कार्यालय के सभी कर्मचारियों (सहायक कर्मचारियों को छोडकर) को SSO ID के माध्यम से पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रेरित करे।
5. जीवन प्रमाण पत्र को अद्यतन (Update) किए जाने हेतु पेंशन पोर्टल व अन्य माध्यमों से प्रस्तुत किये जाने वाले तरीको बाबत पेंशनर का सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करावें।

भवदीय

(डॉ. देवराज)
निदेशक

क्रमांक :– निपेवि/CPDMC/2024–25 दिनांक:–

प्रतिलिपिः–अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 11.11.2024 को राज्य के सभी कोषालयों/उपकोषालयों के स्तर पर जीवन प्रमाण पत्र हेतु शिविर आयोजित किए जा रहे है। अतः इस दिनांक को आप अपने कार्यालय में भी शिविर आयोजित करें।

Signature valid
Digitally signed by Devraj
Designation: Director
Date: 2024.11.07 ..:22:41 IST